न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 37 / 2025
जीसीएमएस : 2025 / 338

01. सुरजा राम पुत्र श्री कालूराम जाति मेघवाल साकिन 24 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –प्रार्थी

बनाम

1. केन्कू पत्नी नानकराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 1 लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सन्तोष पत्नी जैसाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 05 गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. सरोज पत्नी पूर्णराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 5 गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 23.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री परमजीतसिंह मेहरा प्रार्थी अधि.।
2. श्री मनिन्द्र कुमार अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अधि.।

––निर्णय–– दिनांक 21.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 24 एन.पी. का संयुक्त खाता संख्या 30 / 25 मु.नं. 38 प.नं. 181 / 337 की कुल 0.078 नहरी भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व खाता संख्या 100 / 30 में मु.नं. 38 प. नं. 181 / 337 की कुल 0.493 है. नहरी भूमि खातेदारी प्रार्थी के नाम है उक्त भूमि में आने–जाने के लिए प्रार्थी को रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है तथा प्रार्थी के लिए इस रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता / साधन का अभाव है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त किला जात मे स्वीकृत रास्ता बाबत आपसी सहमति से राजीनामा कर सहमति रास्ते हेतु दी हुई है उक्त किला जात में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार कोइ उजर व एजराज नहीं है पंचायती राजीनामा की लिखित शामिल प्रार्थना पत्र हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर चक 24 एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 30 / 25 का मु.नं. 38 प.नं. 181 / 337 के कि.नं. 2 / 2 में 1 बिस्वा दक्षिणी पासा, 10 / 2 में 1 बिस्वा उतरी पासा व 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 11 / 1 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 20 / 2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 21 / 2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, व खाता संख्या 101 / 30 का मु.नं. 38 प.नं. 181 / 337 का कि.नं. 9 / 1 में आधा बिस्वा उतरी–पश्चिमी [illegible] पासा में कुल 6. 50 बिस्वा भूमि का रास्ता [illegible] करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.27 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की तरफ से श्री मनिन्द्र कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा व सहमति पंचायती राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश करते समय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयं भी हाजिर होकर फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर कथन किया कि हम पक्षकारान की सहमति से चक 24 एन.पी. के मुरब्बा नं. 38 प.नं. 181/337 के कि.नं. 2/2 में 1 बिस्वा दक्षिणी पासा, 10/2 में 1 बिस्वा उतरी पासा व 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 11/1 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 20/2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 21/2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, व खाता संख्या 101/30 का मु.नं. 38 प.नं. 181/337 का कि.नं. 9/1 में आधा बिस्वा उतरी–पश्चिमी कार्नर पासा में कुल 6.50 बिस्वा भूमि का रास्ता बाबत भूमि छोड़ी हुई है उक्त भूमि को रास्ता स्वीकृति किया जाता है तो हम पक्षकारान संख्या 1 ता 4 को कोई उजर व एतराज नहीं है उक्त रास्ता की भूमि बाबत हम पक्षकारान संख्या 1 ता 4 किसी प्रकार का कोई मुआवजा या भूमि प्राप्त नहीं करना चाहते है कि उक्त राजीनामा हम सभी पक्षकारान ने पंचायती तौर पर कर लिया है जो वक्त जरूरत समय पर काम आवे। राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है राजीनामा पेश होने पर राजीनामा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उभय पक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। राजनीमा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं राजीनामा दिनांक 06.08.2025 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट लिया जाना उचित नहीं है राजीनामा के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा दिनांक 06.08.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक **24 एन.पी. के मुरब्बा नं. 38 प.नं. 181/337 के कि.नं. 2/2 में 1 बिस्वा दक्षिणी पासा, 10/2 में 1 बिस्वा उतरी पासा व 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 11/1 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 20/2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, 21/2 में 1 बिस्वा पश्चिमी पासा, व खाता संख्या 101/30 का मु.नं. 38 प.नं. 181/337 का कि.नं. 9/1 में आधा बिस्वा उतरी–पश्चिमी कार्नर पासा में कुल 6.50 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान स्वीकृत किया जाता हैं निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.27 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.27 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner